संख्या:95/2026/389/पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/40/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक 04 मई, 2026

विषयः पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 42/2026/306पू०वि०नि०/35-1-2026/35-1099/40/2025, दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना के अन्तर्गत जनपद देवरिया में स्वीकृत 26 कार्यों की रू. 1636.83 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 818.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक-1 से 3 पर अंकित कार्यों की स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। निरस्त किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

शासनादेश दिं. 30.03.2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	गौरकोठी मुख्य मार्ग से सिंहा टोला संपर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	500	44.33	22.00
2	गोरया घाट-कंचनपुर पिच मार्ग से मंदिर होते हुए भैसा डाबर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1400	96.34	48.00
3	कोन्हवलिया पिच मार्ग से मुन्ना निषाद के घर होते हुए शिव मंदिर संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	700	63.86	32.00
	योग:	**2600**	**204.53**	**102.00**

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के क्रमांक 1 से 3 पर अंकित उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3-उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:95/2026/389पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/40/2025तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र०।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।